

FORM-I
(For Linear Projects)
Government Of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli
Dated-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.417 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Rural Development Department, Uttarakhand** for **Construction of Lambagar (Nailbend) To Jhumakhet(One settlement-Kusrani Malli) Link Motor Road under PMGSY in Chamoli** district falls within jurisdiction of village **Kusrani Malli in Gairsain Tehsil.**

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.417 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above


प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

Signature

Name: **Swati S. Bhadoriya (IAS)**
जिला अधिकारी
चमोली

Office of the District Collector,

District-Chamoli (Uttarakhand)


Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Swati S Badhoriya (IAS)**, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on dated... At Chamoli in which the application claiming rights in **Kusrani Malli village in Gairsain Tehsil**, area measuring **2.417 Hectares** for the **Construction of Lambagar (Nailbend) To Jhumakhet (one settlement-kusrani Malli) Link Motor Road under PMGSY in Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Gairsain Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar


जिना अधिकारी
District Magistrate - cum -
Chairman, District Level
Committee, Chamoli


District Social Welfare Officer
Chamoli

परियोजना का नाम :— जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज—१७ के अन्तर्गत लामबगड़ (नेलबैण्ड) से झूमाखेत (कुसरानी) लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति— गैरसैण

उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लामबगड़ (नेलबैण्ड) से झूमाखेत (कुसरानी) लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कुल 1.156 है० नाप भूमि(0.968है० मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.188है० 'डम्पिंग जोन हेतु), कुल 2.417 है० आरक्षित वन भूमि (2.183है० मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.234है० डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल 2.417 है० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 2.417 है० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील— गैरसैण) की दिनांक 22/02/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः—

1	सुश्री नेहा भीठा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री हरीभा नेही	वन स्त्रेंगिकारी	सदस्य
3	श्री ब्रौंष्णन लाल	सदस्य अधिकारी	सदस्य / सचिव
4	श्री इम्पान सिंह	सदस्य स्त्रेंचायत	सदस्य
5	श्रीमती राजा विष्ट	सदस्य स्त्रेंचायत	सदस्य
6	श्रीमती मुम्मी विष्ट	सदस्यकाँग चंचायत झूमाखेत	सदस्य
7	श्री		सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि लामबगड़ (नेलबैण्ड) से झूमाखेत (कुसरानी) लिंक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.417 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमसंख्या 2

परियोजना का नाम:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-17 के अन्तर्गत लामबगड (नेलबैण्ड) से झूमाखेत (कुसरानी) लिंक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।


दिनांक २२/०२/११ उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद-चमोली।

1 सुश्री नेठ मीठी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2 श्री श्री हरीश मीठी	उपप्रभागीय वनाधिकारी वन शोब्राधिकारी	सदस्य गैरसैण (चमोली)
3 श्री सोवेन लाल	स० रख० किं छ०	सदस्य / सचिव लोहन लाल
4 श्री ध्यान सिंह	सदस्य शोब्राधिकारी	सदस्य
5 श्रीमती राधा ढिष्ट	सदस्य शोब्राधिकारी नेठी	Rose
6 श्रीमती मुनी रिट	सदस्य शोब्राधिकारी (झूमाखेत)	सदस्य शोब्राधिकारी झूमाखेत उत्तरी निलाय० गैरसैण (चमोली)
7 श्री		

सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी श्री हरीश नैरी
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

लामबगड (नेलबैण्ड) से झूमाखेत (कुसरानी) लिंक मोटर लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.417 हैं। वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

clb Patwari


उपजिला अधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—गैरसैण
जनपद—चमोली

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उपजिला अधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— गैरसैण
जनपद—चमोली

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फे०ज-XIII के अन्तर्गत लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (लिंक कुशरानी मल्ली) मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -कुशरानी मल्ली
तहसील-गैरसैण, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद -चमोली के अन्तर्गत - लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (लिंक कुशरानी मल्ली) मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (२५१६५ हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल सोयम भूमि भौन्य हे०, वन पंचायत भूमि — हे०) अर्थात् कुल २५१७ हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायतों कुशरानी मल्ली द्वारा दिनांक ११-१०-२०१७ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लामबगड (नैल बैण्ड) से झूमाखेत (लिंक कुशरानी मल्ली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



हे०/
०४१०९१२०१८
~~ग्राम पंचायत कुशरानी मल्ली~~
ग्राम सचिवालय कुशरानी मल्ली

मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

दिनांक 11/10/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कुशरानी मल्ली

प्रमाणक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	बरेत्ता वर्षी सिंह	वर्षी वर्षी सिंह
2-	केदार सिंह	केदार सिंह
3-	रामार्जुन	रामार्जुन
4-	ध्यानी सिंह डांगी बलोकर सिंह	डांगी बलोकर सिंह
5-	सीरामिंदू	सीरामिंदू
6.	जानकी देवी	जानकी देवी
7-	भेद-दर्शन सिंह	भेद-दर्शन सिंह
8-	नारायण सिंह	नारायण सिंह
9-	किशन सिंह	किशन सिंह
10-	बरेत्ता वराह सिंह	बरेत्ता वराह सिंह
11-	बिजयी सिंह	बिजयी
12-	कमला देवी	कमला देवी
13-	सुनदरी देवी	सुनदरी देवी
14-	कस्तुरी देवी	कस्तुरी देवी
15-	बिमला देवी	बिमला देवी
16-	सुला देवी	सुला देवी
17-	रवीभासी सिंह	रवीभासी सिंह नौगी
18-	माइना सिंह	माइना सिंह
19-	कुवरी सिंह	कुवरी सिंह
20-	शिवराजी सिंह	शिवराजी सिंह
21-	कलभासी सिंह	कलभासी सिंह
22-	जयी सिंह	जयी सिंह

23.	राजे-दुर्गेश	राजे-दुर्गेश
24.	नारायण/सैंड 510 इकाई	नारायण/सैंड
25.	दयानीश	दयानीश
26.	लोका देवी	लोका देवी
27.	मोहनराम	मोहनराम
28.	दीरा राम	दीरा राम
29.	शिवा सैंड	शिवा सैंड
30.	नारायण/सैंड 510 इकाई	नारायण/सैंड
31.	गवर राम	गवर राम
32.	बलव-तराम	बलव-तराम
33.	गंगाराम	गंगाराम
34.	दयानीश 510 इकाई	दयानीश
35.	राजे-दुर्गेश	राजे-दुर्गेश
36.	शिवा सैंड 50 इकाई	शिवा सैंड
37.	दयानीश	दयानीश
38.	जानका देवी	जानका देवी
39.	सुनिधि देवी	सुरप्रभा देवी
40.	कृष्ण देवी	कृष्ण देवी
41.	सुधा देवी	सुधा देवी
42.	मेहरी देवी	मेहरी देवी

